URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/अ. वि./2017–18 जयपुर, दिनांक 23 नवम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 के स्वीकृत आवासों को दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण करने एवं वर्ष 2017–18 की स्वीकृतियां एवं प्रथम किश्त 15 नवम्बर, 2017 तक जारी करने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/प्रगति–2/2017–18 दिनांक 27.10.2017 एवं एफ 27(48)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/जिला/2017–18 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित पीआरसी की बैठक दिनांक 16–17 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों एवं विभागीय प्रासंगिक पत्रों द्वारा वर्ष 2016–17 के स्वीकृत आवासों को 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने एवं वर्ष 2017–18 के लक्ष्यानुसार 15 नवम्बर, 2017 तक स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण के निर्देश दिये गये थे।

उक्त सम्बन्ध में वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 250037 आवासों में 49586 (15.83 %) आवासों को द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है एवं 75016 (30 %) आवास ही पूर्ण, जबकि मात्र 27675 आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित है। आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित होने के लिए तृतीय किश्त (Roof cast) लेवल (6) के साथ–साथ ही लेवल (7) पूर्ण (Completed) एवं निर्मित शौचालय की निरीक्षण की फोटो के साथ आवाससॉफ्ट पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें। इसी क्रम में वर्ष 2017–18 में 223629 लक्ष्यों के विरूद्ध 28912 (12.92 %) आवासों की स्वीकृति जारी होना शेष है, जो खेदजनक है।

इस बाबत् उल्लेख है कि आवास का निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, परन्तु समय पर किश्त हस्तानांतरण सुनिश्चित करने हेतु टैग अधिकारी/आवास सहायक/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत की पंचायत स्तर पर निरीक्षण व सहयोग, ब्लॉक आवास प्रभारी/लिपिक की किश्त हस्तानांतरण हेतु ऑर्डरशीट/एफटीओ तैयार करने, लेखाकार की एफटीओ हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित करने हेतु विकास अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। समीक्षा में ध्यान में आया है कि इन स्तर के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा भी कार्य में रूचि नहीं लेने/लापरवाही के कारण आवास योजना की प्रगति प्रभावित हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की प्रगति की आप अपने स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा कर क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर, 30 नवम्बर, 2017 तक वर्ष 2017–18 की प्रथम किश्त एवं वर्ष 2016–17 के आवासों को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करे।

23/11

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)